**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 385

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**सीबीएसई शासी निकाय द्वारा सुधार**

**385. श्री टी॰ रतिनावेलः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के शासी निकाय की वार्षिक बैठक में कई सुधारों पर चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सीबीएसई ने संबद्धता प्रदान किए जाने को त्वरित और आसान बनाने के लिए सम्बद्धता उपनियमों में भारी फेर बदल करने, विशिष्ट और जरूरतमंद छात्रों को अपने ही स्कूल में परीक्षा देने की अनुमति देने तथा प्रश्न पत्रों के मानकीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख) : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के शासी निकाय ने दिनांक 28.06.2018 को आयोजित अपनी बैठक में पाठ्यचर्या, संबद्धता उप-नियमों और परीक्षा में सुधार पर विचार-विमर्श किया और उनका अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) : सीबीएसई के संबद्धता उपनियमों में तीव्रता, पारदर्शिता, बाधामुक्त प्रक्रियाओं और सीबीएसई के साथ व्यापार सुगमता को सुनिश्चित करने हेतु भारी फेरबदल किया गया है। सीबीएसई के संशोधित संबद्धता उपनियमों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:-

1. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, स्कूलों को संबद्धता के लिए आवेदन करते समय 14-15 से अधिक दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता थी। अब, स्कूल को आवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी से एक प्रमाणपत्र और एक शपथपत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

2. स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक शैक्षणिक एवं गुणवत्ता उन्मुखी बनाया गया है।

3. भूमि के मापन के मानकीकरण को एकड़ से मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तन द्वारा किया गया है।

4. संबद्धता की आवश्यकता को अनिवार्य, पोस्‍ट-संबद्धता और सामान्य के रूप में स्पष्ट रूप में परिभाषित किया गया है। अब स्कूलों को कुछ मानदंडों जैसे शिक्षक भर्ती आदि, पोस्‍ट संबद्धता, लेकिन सत्र के प्रारंभ से पूर्व पूरा करने की आवश्यकता होगी।

5. स्कूलों के स्थानांतरण हेतु स्‍पष्‍ट परिभाषित प्रावधानों, स्कूलों/सोसाइटी के नाम में परिवर्तन, स्‍कूल के एक सोसाइटी से स्थानांतरण और स्कूल का समापन आदि, विभिन्न अनुरोधों की प्रोसेसिंग में किसी भी प्रकार के बदलावों से बचने के लिए है।

6. मेट्रो शहरों की तुलना में, अल्प भूमि संसाधनों सहित दुर्गम क्षेत्र होने के नाते अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और अंडमान और निकोबार/लक्षद्वीप समूह के राज्यों द्वारा दी गई भूमि की आवश्यकता में छूट।

7. भूमि स्वामित्व मुद्दों को सहज बनाना, पट्टा अवधि को आवेदन की तिथि से केवल 5 वर्षों के स्वामित्व गारंटी के साथ 30 वर्ष से घटाकर 15 वर्षों तक कर दिया गया है।

8. शिक्षकों की अहर्ताएं पूर्णत: राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एनसीटीसी) अधिसूचना के अनुरूप होंगी और शिक्षकों के वेतन संबंधित सरकार के नियमानुसार होंगी।

9. विभिन्न पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व पर्याप्त पेनल प्रावधानों के साथ स्पष्ट ढ़ंग से परिभाषित किया गया है।

**विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) आवेदकों के लिए रियायत/छूट**

बोर्ड ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड की कक्षा X/XII की परीक्षा में शामिल होने वाले पीडब्ल्यूडी आवेदकों के मामले में निम्नलिखित सुविधाएँ/छूट के विस्तार करने के उपाय किए हैं।

(i) स्क्राइब या रीडर की सुविधा, स्क्राइब की नियुक्ति हेतु मानदंड

(ii) प्रश्नों के पढने हेतु रीडर का प्रावधान

(iii) कुछ चयनित स्कूलों में परीक्षा केंद्र

(iv) कंप्यूटर/लैपटॉप के उपयोग

(v) पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर

(vi) प्रश्नों को करने में छूट

(vii) विषयों के चयन में लचीलापन

1. वैकल्पिक प्रश्न/विजुअल इनपुट, आदि वाले अलग प्रश्न

**प्रश्नपत्रों का मानकीकरण**

सीबीएसई में पूर्ण व्यवस्थित पाठ्यक्रम है। प्रश्नपत्र प्रस्‍तावित पाठ्यक्रम, डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट के अनुरूप तैयार किए जाते हैं और इस प्रकार पहले से ही मानकीकृत हैं। सीबीएसई आवेदकों के लिए प्रतिवर्ष सैंपल प्रश्नपत्र भी तैयार करता है।

**\*\*\*\*\***